उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन संख्या – 33 / 2022

प्रधान केशव नारायण सिंह बनाम झारखण्ड राज्य वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
13-04-2022	अपीलार्थी प्रधान केशव नारायण सिंह पिता स्व0 मनबोध सिंह साकिन बनखेता थाना रामगढ़ जिला रामगढ़ द्वारा U/S 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintance of Records) Act 1973 के तहत भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के दाखिल खारिज अपील संख्या 76/21–22 में दिनांक 01.11.2021 को एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ के दाखिल खारिज वाद संख्या 356 R27/2021–22 में दिनांक 02.02.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक 06.05.2022 को रखें। माधवी मिश्रा 13.04.2022 उपायुक्त, रामगढ़।	
06/05/2022	अपीलार्थी – वकालतन हाजिर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, रामगढ़ के दाखिल खारिज वाद सं॰ 356 R27/2021-22 में दिनांक 02.02.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया है, जो नियमानुकूल नहीं है। अपीलार्थी चाहे तो अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध नियमानुसार भूमि	

सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा दिये गये आवेदन को प्रविष्टि के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
06.05.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
06.05.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.05.20 15:59:13 +05:30
Location: 192.168.0.4